

‘ग्रामीण सेवा शिविर –2025’

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर आबूपर्वत
(पीठासीन अधिकारी ग्रामीण सेवा शिविर/कैम्प कोर्ट - किवली)



—: आदेश —:

प्रार्थी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का शिवली भू. अ. निरीक्षक किवरली की रिपोर्ट तथा तहसीलदार देलदर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार में ग्राम किवली भू. अ. निरीक्षक वृत्त किवरली तहसील देलदर जिला सिरौही की जमाबन्दी सम्वत 2074-77 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	किवली	356	अचला पुत्र सदा, जाति-थुर्कपुर करताराम पुत्र मोती, जाति-थुर्कपुर करमी पुत्र साडला, जाति-थुर्कपुर कोट जाति-थुर्कपुर, सा. डेह खातेदार — शेष बडसूर —	अचला पुत्र सदा जाति-रेवारी करताराम पुत्र मोती जाति-रेवारी करमी पुत्र साडला, जाति-रेवारी कोट जाति-रेवारी, सा. डेह खातेदार — शेष बडसूर —

(डॉ. अंशु प्रिया)

आई.ए.एस.

पीठासीन अधिकारी

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

उपखण्ड अधिकारी

एवं पदेन सहायक कलेक्टर आबूपर्वत

क्रमांक/ग्रा.से.शि./कोर्ट/2025/196

दिनांक- 09-2025

प्रतिलिपि:-

8.10.2025

1. तहसीलदार देलदर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से अवगत करावे।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

उपखण्ड अधिकारी

एवं पदेन सहायक कलेक्टर आबूपर्वत

